Web copy of Civil Court Katihar

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No. 506/2025

Complaint case No- 1257/2018

1. अनिरबन राय उर्फ पोलू दा पिता स्व0 दिलीप कुमार, उ0त0 65 वर्ष
निवासीः– ग्राम– लाल कोठी, थानाः– कटिहार नगर,
जिलाः– कटिहार ।..आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार ....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्रीः ....जयशंकर सिंह।
परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री ....सुनील कुमार जयसवाल।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 21-04-2026

आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 03.05.2025 को उपरोक्त अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जयशंकर सिंह द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त केस परिवादी मुकेश कुमार पासवान द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दाखिल परिवाद पत्र संख्या– 1257/2018 के अनुसार संक्षेप में यह है कि परिवादी दिनांक 27.06.2017 मंगलवार समय 12:00 बजे दिन अभियुक्त के घर रत्न अपना हस्तरेखा दिखाकर खरीदने गया। अभियुक्त के हथेली की रेखा देखकर रत्नपन्ना, पोखराज एवं माणिक तीनों रत्न खरीदने को कहा और अभी रत्न मेरे पास नहीं है, बाहर से मंगवाना होगा आप मुझे मेरे खाता में रूपया 25000/– भेज दीजिए और अगले महीने रत्न आपको मिल जायेगा। परिवादी ने अभियुक्त के झांसा भरी बात सुनाकर इसी तिथि अभियुक्त के खाता भारतीय स्टेट बैंक कटिहार के खाता संख्या– 20041394418 में ए0टी0एम0 यंत्र द्वारा मनी ट्रांसफर सिस्टम के तहत अभियुक्त के खाता में रूपया भेज दिया। परिवादी दिनांक 24.7.2017 को रत्न लेने अभियुक्त के घर गया तो रत्न न देकर फिर से चालाकी भरी बातों से कहा माल फंस गया है। आप मुझे रूपया बीस हजार दीजिए। परिवादी ने रत्न मिल जाने के खयाल से रूपया 18,000/–ए0टी0एम0 यंत्र से मनी ट्रांसफर सिस्टम से इसी तिथि को अभियुक्त के खाता संख्या– 20041394418 में स्थानांतरण कर दिया जो बाद में कुल 43000/– रूपया बिना रत्न दिये चालाकी से प्राप्त कर लिया। परिवादी कई बार अभियुक्त के घर से रत्न लेने के लिए गया, परन्तु वह बहाना बनाता रहा, फिर से मांगने पर एक पर्ची बनाकर दिया कि 07.12.2017 को रूपया वापस कर देंगे और बीस हजार रूपये रत्न पन्ना, पोखराज, मणि ले गया। कुल मिलाकर 63000/– रूपये का सामान अभियुक्त ने परिवादी से प्राप्त कर लिया, जिसके संबंध में अभियुक्त ने दो चेक दस–दस हजार रूपये में दिया और महीने के अंत में चेक से रूपया लेने को कहा, जिसे बैंक में जमा करने पर अभियुक्त खाते में पैसा नहीं होने के कारण चेक का भुगतान नहीं हो सका तथा अभियुक्त ने कुल मिलाकर 63000/– रूपये की ठगी किया है।

3. अग्रिम जमानत आवेदन के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जयशंकर सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जयसवाल को सुना।

4. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन सत्र न्यायालय अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप झूठा एवं बनावटी है। आवेदक पर लगाया गया संपूर्ण आरोप आधारहीन एवं मनगढंत है। आवेदक द्वारा आरोप के संबंध में कोई करार या दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा परिवादी के खाते में 43000/– रूपया अन्तरित कर चुका है तथा शेष रूपया दो समान भाग में वापस करने के लिए तैयार है। आवेदक स्थानीय व्यक्ति है तथा वह न्यायालय के शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। आवेदक स्थानीय जमानतदारों को न्यायालय की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि परिवादी मुकेश कुमार पासवान के द्वारा दाखिल परिवादपत्र संख्या– 1257/2018 में परिवादी के शपथ पर बयान एवं जांच साक्षियों के जांच साक्ष्य के आधार पर आवेदक के विरूद्ध विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा भा0द0वि0 की धारा 420 एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाकर अपराध का संज्ञान लिया गया है। आवेदक पर आरोप है कि उसने परिवादी से कई बार में रत्न, पोखराज, मणिक वगैरह कुल मिलाकर 63000/– रूपये का ले गया, जिसके भुगतान के संबंध में दो चेक दस–दस हजार रूपये का दिया, जिसे बैंक में जमा करने पर आवेदक के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक अनादृत हो गया। इस प्रकार परिवादी द्वारा आवेदक के विरूद्ध कुल 63000/– रूपये ठगी का आरोप लगाया गया है। मामले के लंबित रहने के दौरान आवेदक द्वारा 56000/–रूपया परिवादी के भारतीय स्टेट बैंक खाता क्रमांक संख्या– 2378675367 में विभिन्न तिथियों को जमा किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध लगाया गये आरोप के संबंध में आवेदक द्वारा 56000/– रूपये का भुगतान किया जा चुका है। आवेदक द्वारा किये गये भुगतान के संबंध में परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया गया है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि आवेदक के उपर परिवादी द्वारा 63000/– रूपये का सामान लेकर भुगतान नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया है, परन्तु मामले के लंबित रहने के दौरान आवेदक द्वारा परिवादी को कुल 56000/– रूपये का भुगतान कर दिया गया है, जिसे परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक को आदेश प्राप्त होने अथवा आदेश की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/– एवं समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	21-04-2026
Date of Reserving order	21-04-2025
Uploading date	21-04-2025
Uploaded by	

Web copy of Court, Katihar